कार्यालय जिला प्रोबेषन अधिकारी गाजियाबाद ।

वित्तीय वर्ष – 2013–14

महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेष द्वारा संचालित योजनाओं का विवरणः–

1– पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान–

ऐसी महिलायें जो गरीबी के रेखा के नीचे निवास कर रहीं है तथा जिनके पति का स्वर्गवास हो गया हो तो उनको विभाग द्वारा 300 रू. मासिक दर से अनुदान (विधवा पेंषन) प्रदान की जाती है।

पात्रताः– 1– विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिये।
2– विधवा महिला की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19,844/– एवं शहरी क्षेत्र में रू0 25,546/– से अधिक न हो।
3– विधवा का कोई बालिग पुत्र अथवा पौत्र न हो यदि है तो भरण पोषण करने में असर्मथ हो।
4– विधवा को कोई अन्य सरकारी सहायता प्राप्त न हो रही हो।

आवश्यक दस्तावेजः–

1– पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
2– राषन कार्ड/वोटर आई0 डी0 कार्ड।
3– आय प्रमाण पत्र।
4– 2 फोटो।
5– बैंक खाता।

2– निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदानः–

विधवा की बालिग पुत्रियों के विवाह पर महिला कल्याण विभाग द्वारा 10,000/– रू0 की राषि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

पात्रताः– 1– पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलायें प्रोबेषन कार्यालय से सहायक अनुदान प्राप्त कर रहीं हो।

2– वर व वधु की आयु का प्रमाण पत्र संलग्न करना है ।

3– शादी हेतु निर्धारित तिथि का प्रमाण पत्र ।

3– विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार–

विधवा महिला से विवाह करने वाले व्यक्ति को विभाग की ओर से 11,000/– रू0 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

पात्रताः– 1– विधवा की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिये।

2– विवाह के उपरान्त 1 वर्ष की समयावधि में उसने आवेदन कर दिया हो।

3– पुरूष/महिला आयकर दाता न हो।

4– पुरूष यदि दूसरा विवाह कर रहा हो तो उसकी पहली पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र।

4– दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता :–

जिन महिलाओं ने अपने पति या ससुराल वालों के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अन्तर्गत अथवा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर दिया हो उनको विभाग की ओर से एक मुष्त 2500 रू0 की कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रताः– 1– भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अन्तर्गत सम्बंधित थाने में प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी हो।
2– माननीय न्यायालय में वाद विचार अधीन हो।

5– दहेज पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता :–

पति या ससुराल वालों के विरूद्ध दहेज उत्पीडन का मुकदमा कायम कराने वाली महिला को मुकदमे के निर्णय होने तक 125 रू0 प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रताः– 1– भा0दं0सं0 की धारा 498ए के अन्तर्गत सम्बंधित थाने में प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी हो।
2– माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन हो।

6– घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत योजनाः–

जिन महिलाओं को किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा से प्रताड़ित किया जाता है उन महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

7— उ0प्र0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेषन एक्ट 1938 के अर्न्तगत लाईसंस पर रिहाई :—

इस अधिनियम के अर्न्तगत रिहाई हेतु पात्र बन्दियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप फार्म 'ए' पर अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक कारागार द्वारा जिलाधिकारी को भेजे जाते है उस पर जिला प्रोबेषन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की रिर्पोट के साथ जिलाधिकारी अपनी रिर्पोट अंकित करके महानिरीक्षक कारागार को भेजते है ।

8— धारा 432 दं0प्र0सं0के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा सजा का परिहार (14 वर्षीय नामिनल रोल) :—

दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा जेल मैनुअल के अनुसार जिन मामलों में धारा 433—ए लागू होती है उनमें बन्दी 14 वर्ष वास्तविक (अपरिहार) तथा अन्य मामलों में 14 वर्ष सपरिहार सजा भोग लेने पर रिहाई पर विचार करने का पात्र हो जाता है। पात्र बन्दी का नामिनल रोल अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक कारागार द्वारा जिलाधिकारी को भेजे जाते है उस पर जिलाधिकारी सम्बन्धित मा0 न्यायालय से निर्णय की प्रति प्राप्त करेंगे और पुलिस अधीक्ष्क की रिर्पोट के साथ जिलाधिकारी अपनी रिर्पोट अंकित करके महानिरीक्षक कारागार को भेजते है ।

9— दयायाचिका—

इस विषय में जनहित वाले निम्न आधारो पर बन्दी की समय पूर्व मुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है

1— अत्याधिक बृद्धावस्था — जैसे 75 वर्ष से अधिक आयु
2— अत्याधिक युवावस्था — जैसे 30 वर्ष से कम आयु
3— भारतीय समाज के परिवेष को देखते हुये अविवाहित बालिकायें ।
4— गम्भीर विमारी या अंग षैथिल्य/अषक्तता
5— राज्य के मामले ।

दयायाचिका अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक कारागार द्वारा जिलाधिकारी को भेजी जाती है उस पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक की रिर्पोट के साथ जिलाधिकारी अपनी रिर्पोट अंकित करके महानिरीक्षक कारागार को भेजते है ।

10—पैरोल— पैरोल उ0 प्र0 (बंदियों के दण्डादेष का निलम्बन)नियमावली 2007 के अर्न्तगत पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी की आख्या पर शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

10– प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट 1958–

इस अधिनियम के अर्न्तगत अपराध करने वाले एसे अपराधों के अपराधियों को जिनमें 07 साल से कम सजा का प्राविधान है उन्हें जेल न भेजकर सुधार हेतु जिला प्रोबेषन अधिकारी के पर्यवेक्षण में परिवीक्षा पर छोडे जाने का प्राविधान है ।

11– बाल विवाह अधिनियम 2006 –

इस अधिनियम के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम आयु की लडकी एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करने पर रोक लगाने एवं इस तरह के विवाह को कराने की स्वीकृति देने वालों को सजा का प्राविधान है ।

12– दहेज प्रतिषेध अधिनियम का क्रियान्वयन –

दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अर्न्तगत दहेज के कारण पीड़ित महिला के प्रकरण की जॉच कर मा0 न्यायालय में उक्त अधिनियम की घारा 498 ए के अर्न्तगत वाद पंजिकृत कराये जाने की कार्यवाही की जाती है ।